परिपत्र संख्या– 14 /बजट–5/2019

प्रेषक,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 07 मई, 2019

विषयः– प्रदेश की कारागारों में तैनात कर्मचारियों को मुख्यालय स्तर से स्वीकृत किए जाने वाले सामान्य भविष्य निधि अग्रिमो का भुगतान समय से किये जाने एवं सामान्य भविष्य निधि अग्रिमों के आवेदन संस्तुति समयान्तर्गत करने के सम्बन्ध में ।

मुख्यालय स्तर पर दिनांक 12.04.2019 को आहूत मुख्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों/मुख्यालय के समस्त अधिकारियों की सप्ताहिक बैठक में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा माह जनवरी, 2019 से माह मार्च, 2019 तक स्वीकृत किये गये सामान्य भविष्य निधि अग्रिमों(अस्थाई/स्थाई) की समीक्षा कारागारों से प्राप्त सूचना के आधार पर की गई। समीक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि मुख्यालय से स्वीकृति के उपरान्त कारागार स्तर से कर्मचारियों को भुगतान किये जाने में काफी समय लगाया जाता है। उदाहरण स्वरूप अद्योलिखित कर्मचारियों का विवरण अंकित है, जिन्हें काफी विलम्ब से सामान्य भविष्य निधि अग्रिम का भुगतान किया जाना दर्शाया गया है:–

क0सं0	कारागार का नाम	कर्मचारी का नाम	मुख्यालय से स्वीकृति का दिनांक	कारागार पर स्वीकृति/अभिलेख प्राप्ति का दिनांक	कर्मचारी को भुगतान किये जाने दिनांक
1	जि0का0,हमीरपुर	श्री सुरजन सिंह	11.01.2019	18.01.2019	09.02.2019
2	जि0का0,जौनपुर	श्री परमानन्द राम	22.01.2019	29.01.2019	16.02.2019
3	जि0का0,सुल्तानपुर	श्री धर्मपाल सिंह	17.01.2019	19.01.2019	30.01.2019
4	जि0का0,प्रतापगढ़	श्री प्रेमचन्द्र सोनकर	18.01.2019	21.01.2019	15.02.2019
5	के0का0,बरेली	श्री राजेन्द्र कुमार सक्सेना	25.02.2019	28.02.2019	13.03.2019
6	जि0का0,सोनभद्र	श्री राम कुमार	18.02.2019	09.03.2019	माह–अप्रैल, 2019 के प्रथम सप्ताह में भुगतान कर दिया जायेगा सूचित किया गया है।

उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आवेदक की आवश्यकता को दृष्टिगत नहीं रखा जाता है, जो गंभीर लापरवाही का द्योतक है।

अतः इस सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि कारागार स्तर पर अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करें कि सामान्य भविष्य निधि के आवेदकों को अनावश्यक रूप से कठिनाई का सामना न करना पड़ें। आपके स्तर पर यदि यह संज्ञानित हो कि किसी कर्मचारी विशेष यथा–पटल सहायक द्वारा मुख्यालय को संस्तुति भेजने में लापरवाही बरती जा रही है अथवा अनावश्यक रूप से भुगतान में विलम्ब किया जा रहा है तो अपने अधीनस्थ ऐसे कार्मिकों के विरूद्व नियमानुसार कड़ी कार्यवाही सम्पादित करें।

समीक्षा के दौरान यह भी संज्ञानित हुआ कि अनेक प्रकरणों में आवेदक के सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम के आवेदन को कारागार स्तर से संस्तुति कर विलम्ब से मुख्यालय को प्रेषित किया गया है। कई प्रकरणों में पारिवारिक सदस्य के विवाह हेतु वांछित अग्रिम का प्रस्ताव विवाह की तिथि से कुछ ही दिन पूर्व प्रेषित किया गया है। भविष्य में भी इस प्रकार की समीक्षाएं की जाती रहेगीं। यदि भविष्य में भी किसी कर्मचारी को सामान्य भविष्य निधि अग्रिम के आवेदन की संस्तुति करने में अथवा भुगतान करने में विलम्ब की स्थिति उदघाटित हुई तो यह समझा जायेगा कि आपके स्तर से आवेदन की संस्तुति करने में अथवा भुगतान करने में विलम्ब हुआ, जो सीधे तौर पर मुख्यालय के निर्गत निर्देशों के उल्लघंन की श्रेणी में माना जायेगा एवं इस हेतु आप व्यक्तिगत रूप से स्वयं उत्तरदायी होगें।

5/5/19

(चन्द्र प्रकाश)

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।